न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 609/2024

प्रार्थीगण

1 अशोक कुमार पुत्र देदाराम 2 उम्मेदाराम पुत्र निम्बाराम 3 खरथाराम पुत्र अखाराम 4 गीतादेवी पत्नी नीम्बाराम 5 चुतराराम पुत्र नारणाराम 6 चनणी पत्नी देदाराम 7 जगदीश कुमार 8 तगाराम पिसरान निम्बाराम 9 मालाराम पुत्र देदाराम 10 रिणछाराम पुत्र अखाराम 11 लाखाराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी लुणू आगोर तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री कैलाश एन. सारण वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 14/01/25

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चुली तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 598/178 रकबा 0.1133 हैक्टयर भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काष्त है। प्रार्थीगण ने मूल खसरा संख्या 178 का विभाजन करने के पश्चात राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर राजस्व वाद संख्या 70/2016 अनवान उम्मेदाराम बनाम अखाराम वगैराह जो माननीय सहायक कलक्टर बाडमेर के यहा प्रस्तुत किया था, जो बाद सुनवाई दिनांक 30.07.2019 को निर्णय पारित कर मूल खसरा संख्या से विभक्त खेत खसरा संख्या 598/178 रकबा 0.1133 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण को प्राप्त हुई, जिसमे बाद विभाजन नक्शा तैयार किया गया जो निर्णय के संलग्न परिषिष्ठ 'अ' में बरंग लाल अनुसार प्रार्थीगण का खसरा में रखा गया परन्तु लठठा ट्रेस में तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों ने विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा अनुसार नही कर गलत तरमीम अंकित कर दी गई, जो गलत है। उक्त गलत तरमीम के कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चुली तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 598/178 रकबा 0.1133 हैक्टयर भूमि की तरमीम वास्तविक भौतिक कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को [illegible] किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर [illegible]

तहसीलदार बाडमेर ने अपनी [illegible] दिनांक 14.01.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चुली तहसील [illegible] बाडमेर के खेत खसरा संख्या 178 का विभाजन माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बाडमेर के राजस्व आवेदन संख्या 70/2016 निर्णय दिनांक 30.07.2019 के आधार पर किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:25:30 IST
Reason: SelfAttested

न्याय अधिकारी

...य के आदेश की पालना में खेत खसरा संख्या 178 के विभाजन का नमान्तकरण भरा ... तथा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम की गई। लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करते समय लठ्ठा नक्शा के खसरा संख्या 178 के विभाजित खसरा संख्या 596 / 178 रकबा 0.7770 हैक्टयर व खेत खसरा संख्या 597 / 178 रकबा 1.9182 हैक्टयर, खसरा संख्या 594 / 178 रकबा 2.0801 हैक्टयर की तरमीम संलग्न नक्शा के प्रारूप 'अ' के अनुसार की गई परन्तु खसरा संख्या 598 / 178 रकबा 0.1133 हैक्टयर भूमि की तरमीम न्यायालय के निर्णय के संलग्न नक्शा में अंकित तरमीम अनुसार नही की गई जिसके कारण खसरा संख्या 598 / 178 की तरमीम लठ्ठा नक्शा में गलत अंकित हो गई। मूल खसरा संख्या 178 से विभाजित खसरा संख्या 598 / 178, 595 / 178, 596 / 178 की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नक्शा प्रारूप 'ब' के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्ध हो सके।

वकील प्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट पर सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम सही करने पर अपनी सहमति प्रस्तुत की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ. / 2025 / 120 दिनांक 14.01.2025 एवं उसके संलग्न प्रारूप 'ब' एवं अन्य दस्तावेज यथा जमाबन्दी, माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बाडमेर के निर्णय दिनांक 30.07.2019 एवं संलग्न विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शों का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों से प्रमाणित है कि मौके पर कब्जा काश्त एवं लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम में भिन्नता है, विभाजन अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम नही की गई है, जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा लुणू आगोर पटवार हल्का चुली तहसील व जिला बाडमेर के खेत संख्या 596 / 178 रकबा 0.7770 हैक्टयर व खेत खसरा संख्या 595 / 178 रकबा 0.7527 हैक्टयर खसरा संख्या 598 / 178 रकबा 0.1133 हैक्टयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा प्रारूप "ब" में दर्शाये बरंग लाल अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त की जाती है। संलग्न नक्शा प्रारूप "ब" आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर

आदेश आज दिनांक ....14/01/25.... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:25:30 IST
Reason: SelfAttested